FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0233 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/09/2025 17:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/10/2021 **Date To (दिनांक तक):** 01/11/2021

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/09/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/09/2025 17:28:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GUNA HAIWAY ROAD NAHARGARH, GRAM PANCHYAT NAHARGARH, JILA BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATYANARAYAN SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LET.PARBHUSINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1953 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BALAKERA, KISHANGANG, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BALAKERA, KISHANGANG, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANAKCHAND SAHARIYA		पिता:KEVAL SAHARIYA	1. GRAM BALAPURA POST NAHARGARH,PANCHAYAT SAMATI KISHANGARH,BARAN,RAJAST
2	RAMKUMAR SAHARIYA		पिता:CHIROJILAL	1. GRAM GHATTA POST PARANIYA,KISHANGANG,BARAN,RAJASTHAN,INDIA
3	GANESH GOSWAMI		पिता:DEVKISHAN	1. GRAM NAHARGARH,PANCHAYAT SAMATI KISHANGANG,BARAN,RAJAST

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,90,466.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 2,90,466.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

श्रीमान हालात इस प्रकार है, कि परिवादी श्री सत्यनारायण सिंह, प्रदेश संयोजक किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश ने किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के लेटर पेड पर टाईपशुदा शिकायत कार्यालय में उपस्थित होकर पेश की थी। शिकायत में बिन्दुवार अंकित है कि यह कि बारां जिले की तहसील किशनगंज में नाहरगढ़ ग्राम पंचायत स्थित है। यह कि नाहरगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार से होकर गुना हाईवे रोड गुजरता है। यह कि गुना रोड़ पर थाने के सामने उत्तर दिशा में जल संसाधन विभाग बारां तृतीय खण्ड के प्रखण्ड नाहरगढ़ की कार्यालय हेतु खसरा नं0 381 की सरकारी जमीन पर करीब 40 वर्ष पुरानी पक्की चारदीवारी बनी हुई है जिस पर मुख्य गेट व जल संसाधन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। यह कि इस परिसर में किसानों की बैठकें आम सभायें होती रहती है। यह कि गत वर्ष 2020 में जुलाई के प्रथम सप्ताह में अज्ञात भू-माफियाओ ने जल संसाधन विभाग की चारदिवारी के अन्दर अवैध फाउण्डेशन का निर्माण कर लिया था। यह कि अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर किसान महापंचायत नाहरगढ़ इकाई ने बैठक कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय के नाम नायब तहसीलदार नाहरगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया जिस पर कार्यवाही करते हुये प्रशासन द्वारा दिनांक 31.07.2020 को तहसीलदार किशनगंज, नायब तहसीलदार, सरपंच माणकचन्द सहरिया, ग्राम विकास अधिकारी रामकुमार सहरिया व थानाधिकारी थाना नाहरगढ़ ने मय पुलिस जाप्ते के दो जेसीबी मंगवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पत्थरों व जमीन का पंचनामा व मौका रिपोर्ट बनाकर पुलिस थाना नाहरगढ़ की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। यह कि 04.10.2021 को नाहरगढ़ सरपंच माणकचन्द सहरिया, ग्राम विकास अधिकारी रामकुमार सहरिया, वार्ड पंच गणेश गोस्वामी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करवाई गई अतिक्रमण मुक्त जल संसाधन विभाग की जमीन चारदिवारी के अन्दर 22 गुणा 27 फिट कुल 594 वर्गफिट जमीन का फर्जी पट्टा वार्ड पंच गणेश गोस्वामी के नाम बना दिया जबकि यह भूमि नायब तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट के अनुसार आबादी भूमि न होकर सिवाय चक राजस्व की होना बताया है। यह कि विवादित पट्टा वार्ड पंच गणेश गोस्वामी के नाम बनाया है जिस पर गणेश गोस्वामी ने झूठा शपथ पत्र पेश कर मौके पर खुद का मकान बना होना बताया है जबकि मौके पर वहां उसका कोई किसी प्रकार का मकान नही है। यह कि पट्टा इस प्रकार बनाया है कि गुना रोड से लगायत 27 फीट लम्बाई पूर्व पश्चिम व चौडाई 22 फीट उत्तर दक्षिण जिसमें पूर्व में जल संसाधन विभाग की जमीन और पश्चिम में चेतन शर्मा का आवासीय मकान, दक्षिण में गुना रोड़ एवं उत्तर में गणेश गोस्वामी की कब्जे की खाली जमीन दर्शाई गई है। यह कि इस पट्टे के आधार पर 27 गुणा 22 कुल 594 वर्गफीट रोड साईड गणेश गोस्वामी को बेचान की गई भूमि तथा इसके पीछे की साईड उत्तर दिशा में करीब 133 गुणा 27 कुल 3591 वर्गफीट करीब खाली जगह कुल 4185 वर्गफीट भूमि पर गणेश गोस्वामी को मालिकाना हक दे दिया गया है। यह कि नाहरगढ़ में डीएलसी की रेट 351 रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से पुरी जमीन की किमत लगभग 10400935 रूपये बनती है। जबकि गणेश गोस्वामी को मात्र 208495 रूपये में बेचान कर करीब 1.00 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ दिया गया है। यह कि जल संसाधन विभाग तृतीय बारां के अधिकारियों को किसान पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा अवगत करवाने के बाद भी तथा समचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नही की। इससे सन्देह उत्पन्न होता है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मिलिभगत से यह फर्जीवाड़ा किया गया है। उक्त शिकायत पर आर नम्बर 8451/21 की 17ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 के अन्तर्गत पूर्वानुमोदन प्राप्त की गई। ब्यूरो मुख्यालय द्वारा उक्त आर नम्बर की जांच पर प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया जाकर प्राथमिक जांच संख्या 18/2023 दिनांक 11.05.2023 पंजीबद्ध की गई। उक्त प्राथमिक जांच की जांच श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं श्री प्रेमचंद उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां द्वारा की गई। जांच के दौरान बयान परिवादी एवं गवाहान लिये गये,वांछित, सूचना/दस्तावेज एवं

स्पष्टीकरण आदि प्राप्त किये गये। प्राथमिक जांच में परिवादी की प्राप्त शिकायत, बयान परिवादी श्री सत्यनारायण सिंह, गवाह श्री सुरेन्द्र गौतम, श्री भगवान लाल बैरवा उपसरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ़ व विवादित पट्टा स्थल के पडोसी गवाह श्री चेतन शर्मा तथा जिला परिषद् बारां, उपखण्ड कार्यालय किशनगंज व उपतहसील नाहरगढ़ तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.05.2023 से पाया गया है कि कस्बा नाहरगढ में गुना हाईवे रोड पर पुलिस थाना नाहरगढ के सामने खसरा नम्बर 2007/381 रकबा 3 बीघा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा सिवाय चक बंजड, खसरा नम्बर 2122/381 रकबा 0.15 बीघा कार्यालय महकमा सिंचाई विभाग, खसरा नम्बर 2121/381 रकबा 6 बीघा बंजड वन पौधशाला हेतु आरक्षित भूमि है। खसरा नम्बर 2007/381 में आबादी बसी हुई है। इस खसरे की भूमि के अन्तिम छोर पर श्री चेतन शर्मा का मकान व दुकाने बनी हुई है जिसके बाद खसरा नम्बर 381 जिसमें बीच में श्री गणेश जी का मन्दिर व पुराना सुखा ट्यूबवेल (सरकारी) स्थित है। खसरा नम्बर 381 व खसरा नम्बर 2122/381 में पुरानी बाउण्ड्री वाल बनी हुई है जिसके मुख्य गेट पर सिंचाई विभाग का बोर्ड लगा हुआ तथा खसरा नम्बर 2122/381 में सिंचाई विभाग के दो कमरे बने हुये है जिसके बाद खसरा नम्बर 2121/381 बंजड भूमि वनपौधशाला हेतु आरक्षित है। जुलाई 2020 में खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा में गणेश मन्दिर के व चेतन शर्मा के मकान के मध्य स्थित सिवाय चक भूमि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाउण्डेशन बनाकर अतिक्रमण कर लिया था जिसका विरोध किसान महापंचायत नाहरगढ़ द्वारा किया जाकर दिनांक 23.07.2020 को नायब तहसीलदार नाहरगढ को ज्ञापन सौपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई क्योंकि खसरा नम्बर 381 सिवाय चक भूमि जिसमें चार दीवारी बनी हुई है, किसान महापंचायत के सदस्य समय समय पर किसानों की समस्याओ को लेकर बैठको का आयोजन किया करते थे। किसान महापंचायत सदस्यों द्वारा ज्ञापन देने पर दिनांक 31.07.2020 को खसरा नम्बर 381 सिवाय चक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तुडवाकर मौका रिपोर्ट बनाकर थानाधिकारी नाहरगढ की सुपुर्दगी में दी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान आरोपी श्री माणकचन्द सहरिया सरपंच, आरोपी श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां भी मौके पर उपस्थित थे इसलिये आरोपीगण श्री माणकचन्द सहरिया सरपंच व श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच को भलीभांति जानकारी थी कि अतिक्रमित भूमि सिवाय चक है। श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच ने यह जानते हुये है कि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि सिवाय चक है पर अपना पुराना पुस्तैनी मकान बना हुआ बताकर दिनांक 04.08.2021 को 50 रूपये के स्टाम्प पर झूठा शपथ पत्र तैयार करवा कर सिवाय चक भूमि पर पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया जिस पर ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में दिनांक 15.08.2021 को ग्राम सभा का आयोजन कर बैठक में प्रस्ताव संख्या 10 पर आवेदक गणेश गोस्वामी के पट्टा आवेदन पर डीएलसी दर से पट्टा बनाने की सहमति जताई गई जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ द्वारा श्री दुर्गालाल सहरिया वार्डपंच, श्री सत्यनारायण नागर वार्डपंच व श्री सुरेश नागर वार्डपंच की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर श्री गणेश गोस्वामी द्वारा आवेदन में बताये गये भूखण्ड का मौका निरीक्षण करवाया गया। उक्त तीनों सदस्यों ने मौका निरीक्षण कर अनापति प्रमाण पत्र यह जानते हुये जारी किया कि श्री गणेश गोस्वामी द्वारा आवेदन में पट्टा हेतु दर्शाई गई भूमि सिवाय चक है। जिसके बाद दिनांक 07.09.2021 को ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा पुनः ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें प्रस्ताव संख्या 01 में तीन सदस्यीय कमेटी के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने से श्री गणेश गोस्वामी को उसके आवेदन पर आवेदन में वर्णित भूमि का आगामी ग्राम सभा में डीएलसी दर से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 02.10.2021 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 में श्री गणेश गोस्वामी के खाली भूखण्ड की डीएलसी दर से शुल्क जमा करवाकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 04.10.2021 को डीएलसी दर 351 रूपये प्रति वर्गफिट से भूखण्ड 22 गुणा 27 वर्गफिट की शुल्क राशि 02,08,494 रूपये रसीद संख्या 960 दिनांक 04.10.2021 से जमा करवाकर पट्टा संख्या 2976 श्री गणेश गोस्वामी पुत्र श्री देवकिशन निवासी नाहरगढ के नाम बना दिया गया तथा दिनांक 05.10.2021 को नायब तहसीलदार नाहरगढ के पास उप पंजीयक नाहरगढ जिला बारां का चार्ज भी था, उप पंजीयक नाहरगढ से उक्त पट्टे को पंजीकृत करवा लिया गया और पट्टे की पीछे उत्तर दिशा की ओर चारदीवारी के अन्दर लम्बाई 120 फीट तथा चौडाई एक छोर 29 फीट व दुसरा छोर 35 फीट भूमि पर भी पट्टे में गणेश गोस्वामी का कब्जा दर्शाकर मालिकाना हक दे दिया गया। सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा गणेश गोस्वामी के नाम सरकारी सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 381 में पट्टा जारी करने के विरोध में उपसरपंच श्री भगवान लाल बैरवा ने अन्य वार्ड पंचो के साथ पंचायत के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बारां को शिकायत दी गई। नायब तहसीलदार नाहरगढ़ जिला बारां को गणेश गोस्वामी को जारी पट्टे का पंजीयन हो जाने से नायब तहसीलदार नाहरगढ़ ने अपने पत्रांक स्पेशल-1 दिनांक 13.10.2021 से गणेश गोस्वामी के पट्टा संख्या 2976 की भूमि सिवाय चक होने से पट्टे की निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बारां को जारी किया गया। जिसमें पट्टा भूमि को सिवाय चक भूमि होना अंकित किया गया। आरोपीगण द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ श्रीमान् जिला कलक्टर बारां का आदेश क्रमांक 1561-67 दिनांक 14.03.2008 संलग्न किया है जिसमें जिला कलक्टर बारां द्वारा ग्राम नाहरगढ की आराजी खसरा संख्या 380 रकबा 1.06 में से 0.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 381 रकबा 13.15 बीघा में से 03 बीघा (ख0नं0 2007/381) कुल किता 2 रकबा 3.06 बीघा किस्म बंजड भूमि ग्राम पंचायत नाहरगढ को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये है। परन्तु मौके पर पट्टा भूमि

खसरा नम्बर 381 सिवाय चक भूमि में स्थित है। ग्राम पंचायत नाहरगढ में गणेश गोस्वामी द्वारा पट्टा आवेदन करने पर मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी में श्री दुर्गालाल सहरिया वार्डपंच, श्री सत्यनारायण नागर वार्डपंच व श्री सुरेश नागर वार्डपंच द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया जिन्होने पट्टा आवेदन में दर्शाई गई भूमि सिवाय चक होने के बावजूद अनापति प्रमाण पत्र पंचायत में दिया गया। कमेटी के सदस्यो से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जांच की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिष्द बारां द्वारा वार्ड पंच व उप सरपंच श्री भगवान लाल बैरवा ग्राम पंचायत नाहरगढ की शिकायत प्रार्थना पत्र पर कार्यालय आदेश क्रमांक 492 दिनांक 21.04.2022 एवं 2011-14 दिनांक 23.10.2021 से तीन सदस्यीय श्री नवलकिशोर मीणा सहायक विकास अधिकारी, गजनलाल वर्मा सहायक विकास अधिकारी व श्री प्रहलादराम डूडी विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज की समिति द्वारा जांच करवाई गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज जिला बारां ने कार्यालय पत्रांक 2268 दिनांक 08.07.2022 मे जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला बारां को प्रेषित की गई, जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि:- राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में ग्राम पंचायत पट्टा नियम के सम्बन्ध में नियम 140 से 156 तक उल्लेख है। नायब तहसीलदार नाहरगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत नाहरगढ द्वारा जारी पटटा खसरा नम्बर 381 किस्म सिवाय चक भूमि पर जारी किया गया है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 के अन्तर्गत आरक्षित आबादी भूमि जो किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से आवंटित हुई हो पर ही ग्राम पंचायत पटटा जारी करने का अधिकार रखती है। जांच मे पाया गया कि पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 143 के अनुसार " आबादी क्षेत्र में भूखण्डो का निलाम किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा पालना नही की गई है । साथ ही पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 " प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण का प्रावधान किया हुआ है। नियम 156 के अन्तर्गत (क) जहां किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व हो या लेखबद्ध किये जाने वाली किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम उस भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नही होगा और (ग) जहां तक नियम 144 के उपनियम (1)और(2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो व नियम 156 (2)(3) की पालना अनुसार ही नियम 156 " प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण किया जा सकता है। जिसकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की गई है। भूमि का विक्रय प्रारूप 23 नियम 167(1) में जारी किया गया है । रिकार्ड अनुसार जारी पट्टा में पंचायत राज नियम 1966 के नियम 143 आबादी भूखण्ड क्षेत्रो को नीलाम किया जाना के तहत नियम 144,147,149,150,151,152,153,154 व 155 की पालना नियमानुसार नही की गई है। मौका निरीक्षण उपरान्त आबादी में भूमि होने या ना होने के सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार आपत्तियां प्राप्त करने का नोटीस जारी किया जाना था, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के पश्चात् तिथि निर्धारित करके खुली बोली से भूखण्ड विक्रय किया जाना था जो नही किया जाकर भूखण्ड 27 गुणा 22 कुल 594 वर्गफिट भूमि डीएलसी दर पर ही राशि 02,08,494 रूपये में श्री गणेश गोस्वामी का ग्राम पंचायत द्वारा डीएलसी दर से ही पट्टा जारी किया गया जबकि नियमानुसार विक्रय राशि डीएलसी दर से दुगुनी होना चाहिए थी। यदि नियम 143 के अनुसार भूखण्ड विक्रय किया है तो विक्रय राशि 50,000 रूपये से अधिक व राशि 2,00,000 रूपये तक सम्बन्धित पंचायत समिति को एवं 2,00,000 रूपये से अधिक व 5,00,000 रूपये तक सम्बन्धित जिला परिषद् को एंव इससे अधिक होने पर राज्य सरकार के विक्रय अनुमोदन उपरान्त ही भूखण्ड का विक्रय किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त पटटा जारी करने में पंचायतीराज नियमों की अवहेलना की है। उप पंजीयक नाहरगढ से प्राप्त सूचना में सड़क व आबादी से 100 मीटर तक भूखण्ड की व्यावसायिक दर 420 रूपये प्रति वर्गफिट के अनुसार उक्त भूखण्ड की विक्रय राशि 249480 रूपये की दुगुनी दर राशि नियम 156 के अनुसार 498960 रूपये ग्राम पंचायत में जमा होनी थी, जो नही की गई तथा भूखण्ड की उत्तर दिशा में श्री गणेश गोस्वामी की खाली कब्जे की भूमि 133 गुणा 27 कुल 3591 वर्गफिट का मालिकाना हक पटटे में श्री गणेश गोस्वामी का कब्जा लिखते हुये देने का प्रयास किया गया है। जिसकी व्यावसायिक डीएलसी दर 420 रूपये से 15,08,220 रूपये राशि होती है। लाभार्थी श्री गणेश गोस्वामी वर्तमान में ग्राम पंचायत नाहरगढ में वार्डपंच के पद पर है। पंचायतीराज अधिनियम के नियमानुसार लोक सेवक रहते हुये अपने स्वयं के नाम सरकारी सम्पति आवंटित नहीं करा सकता। लोक सेवक होते हुये यह अनुचित लाभ प्राप्त किया। पट्टा जारी करने से पहले दिनांक 31.07.2020 को उपखण्ड अधिकारी किशनगंज, श्री माणकचन्द सहरिया सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ एवं श्री जगदीश चन्द सहरिया ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाहरगढ, मूलचन्द वर्मा पटवारी एवं रामदयाल वैष्णव भू-अभिलेख निरीक्षक नाहरगढ की टीम द्वारा इस जमीन पर गणेश गोस्वामी द्वारा अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को हटाया गया था। उसका पट्टा दिनांक 04.10.2021 को जारी होने के अगले दिन दिनांक 05.10.2021 को उसका पंजीयन कर दिया गया। उक्त पट्टा श्री गणेश गोस्वामी वर्तमान वार्डपंच वार्ड संख्या 05 नाहरगढ को जारी किया गया। पट्टा सिवाय चक भूमि पर जारी किया गया है जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों के अनुसार जारी नही किया गया है। इस प्रकार विकास अधिकारी किशनगंज द्वारा अपनी जांच में श्री गणेश गोस्वामी को जारी किया गया पट्टा सिवाय चक भूमि में जारी किया जाना माना है। सम्पूर्ण जांच से पाया कि कस्बा नाहरगढ में गुना हाईवे रोड पर पुलिस थाना नाहरगढ के सामने खसरा नम्बर 2007/381 रकबा 3 बीघा गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा सिवाय चक बंजड़, खसरा नम्बर 2122/381 रकबा 0.15 बीघा कार्यालय महकमा सिंचाई विभाग, खसरा नम्बर 2121/381 रकबा 6 बीघा बंजड़ वन

पौधशाला हेतु आरक्षित भूमि है। खसरा नम्बरा 2007/381 में आबादी बसी हुई है। इस खसरे की भूमि के अन्तिम छोर पर श्री चेतन शर्मा का मकान व दुकाने बनी हुई है जिसके बाद खसरा नम्बर 381 जिसमें बीच में श्री गणेश जी का मन्दिर व पुराना सुखा बोरवेल (ट्यूबवेल सरकारी) स्थित है। खसरा नम्बर 381 व खसरा नम्बर 2122/381 में रोड़ की तरफ तथा वनपौधशाला की भूमि की तरफ पुरानी बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है जिसके मुख्य गेट सिंचाई विभाग का पुराना बोर्ड लगा हुआ तथा खसरा नम्ब्र 2122/381 में सिंचाई विभाग के दो कमरे बने हुये है जिसके बाद खसरा नम्बर 2121/381 बंजर भूमि वनपौधशाला हेतु आरक्षित है। 31 जुलाई 2020 में खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा में गणेश मन्दिर के व चेतन शर्मा के मकान के मध्य स्थित सिवाय चक भूमि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फाउण्डेशन बनाकर अतिक्रमण कर लिया था जिसका विरोध किसान महापंचायत नाहरगढ़ द्वारा किया जाकर दिनांक 23.07.2020 को नायब तहसीलदार नाहरगढ को ज्ञापन सौपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की गई क्योंकि खसरा नम्बर 381 सिवाय चक भूमि जिसमें चार दीवारी बनी हुई है, किसान महापंचायत के सदस्य समय समय पर किसानों की समस्याओ को लेकर बैठको का आयोजन किया करते थे। किसान महापंचायत सदस्यों द्वारा ज्ञापन देने पर दिनांक 31.07.2020 को तहसीलदार किशनगंज, नायब तहसीलदार नाहरगढ, भू-अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी नाहरगढ़ द्वारा श्री माणकचन्द सहरिया सरपंच, श्री जगदीशचन्द सहरिया ग्राम विकास अधिकारी, श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच, उप सरपंच व अन्य वार्डपंचों तथा थानाधिकारी नाहरगढ मय जाप्ता की मौजूदगी में खसरा नम्बर 381 सिवाय चक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तुडवाकर मौका रिपोर्ट बनाकर थानाधिकारी नाहरगढ की सुपुर्दगी में दी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान आरोपीगण श्री माणकचन्द सहरिया सरपंच व श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां भी मौके पर उपस्थित थे जिन्हे भलीभांती जानकारी थी कि अतिक्रमित भूमि सिवाय चक है। श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच ने यह जानते हुये है कि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि सिवाय चक है पर अपना पुराना पुस्तैनी मकान बना हुआ बताकर दिनांक 04.08.2021 को 50 रूपये के स्टाम्प पर झूठा शपथ पत्र तैयार करवा कर सिवाय चक भूमि पर पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया जिस पर ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में दिनांक 15.08.2021 को ग्राम सभा का आयोजन कर बैठक में प्रस्ताव संख्या 10 पर आवेदक गणेश गोस्वामी के पट्टा आवेदन पर डीएलसी दर से पट्टा बनाने की सहमति जताई गई जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ द्वारा श्री दुर्गालाल सहरिया वार्डपंच, श्री सत्यनारायण नागर वार्डपंच व श्री सुरेश नागर वार्डपंच की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर श्री गणेश गोस्वामी द्वारा आवेदन में बताये गये भूखण्ड का मौका निरीक्षण करवाया गया उक्त तीनों सदस्यों ने मौका निरीक्षण कर अनापति प्रमाण पत्र यह जानते हुये जारी किया कि श्री गणेश गोस्वामी द्वारा आवेदन में पट्टा हेतु दर्शाई गई भूमि सिवाय चक है जिसके बाद दिनांक 07.09.2021 को ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा पुनः ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें प्रस्ताव संख्या 01 में तीन सदस्यीय कमेटी के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त होने से श्री गणेश गोस्वामी को उसके आवेदन पर आवेदन में वर्णित भूमि का डीएलसी दर से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा दिनांक 02.10.2021 की ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 में श्री गणेश गोस्वामी के खाली भूखण्ड की डीएलसी दर से शुल्क जमा करवाकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाकर दिनांक 04.10.2021 को डीएलसी दर 351 रूपये प्रति वर्गफीट मे भूखण्ड 22 गुणा 27 वर्गफिट की शुल्क राशि 02,08,494 रूपये रसीद संख्या 960 दिनांक 04.10.2023 से जमा करवाकर पट्टा संख्या 2976 श्री गणेश गोस्वामी पुत्र श्री देवकिशन निवासी नाहरगढ के नाम बना दिया गया तथा दिनांक 05.10.2021 को नायब तहसीलदार नाहरगढ से उक्त पट्टे को पंजीकृत करवा लिया गया और पट्टे की पीछे उत्तर दिशा की ओर चारदीवारी के अन्दर लम्बाई 120 फीट तथा चौडाई एक छोर 29 फीट व दुसरा छोर 35 फीट भूमि पर भी पट्टे में गणेश गोस्वामी का कब्जा दर्शाकर मालिकाना हक देने का प्रयास किया गया। सरपंच श्री माणकचन्द व ग्राम सेवक रामकुमार सहरिया द्वारा गणेश गोस्वामी के नाम सरकारी सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 381 में पट्टा जारी करने के विरोध में उपसरपंच श्री भगवान लाल बैरवा ने अन्य वार्डपंचो के साथ पंचायत के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बारां को शिकायत दी गई। नायब तहसीलदार नाहरगढ़ जिला बारां को गणेश गोस्वामी को जारी पट्टे का पंजीयन हो जाने से नायब तहसीलदार ने अपने पत्रांक स्पेशल-1 दिनांक 13.10.2021 से गणेश गोस्वामी के पट्टा संख्या 2976 की भूमि सिवाय चक होने से पट्टे की निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बारां को जारी किया गया। जिसमें पट्टटा भूमि को सिवाय चक भूमि होना अंकित किया गया है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के पत्रांक 819 दिनांक 25.05.2023 से प्राप्त रिकार्ड में संलग्न विकास अधिकारी पंचायत समिति किशनगंज की जांच रिपोर्ट में भी गणेश गोस्वामी को जारी पट्टा भूमि सिवाय चक भूमि में होना तथा पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमानुसार नही होने का उल्लेख है। आरोपी श्री गणेश गोस्वामी को जारी पट्टा संख्या 2976 में आबादी भूमि खसरा नम्बर 2007/381 ग्राम नाहरगढ़ अंकित है। जबकि दिनांक 24.05.2023 को हल्का पटवारी से तैयार करवाई गई मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा भूमि 22 गुणा 27 वर्गफीट व पटटा भूमि के पीछे पट्टा धारक गणेश गोस्वामी की कब्जा भूमि लम्बाई 120 फीट गुणा चौडाई एक छोर 29 फीट व दुसरा छोर 35 फीट भूमि खसरा नम्बर 381 रकबा 4 बीघा सिवाय चक खाता सरकार भूमि में स्थित है। श्री माणक चन्द सहरिया सरपंच, श्री रामकुमार सहरिया ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री गणेश गोस्वामी वार्डपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ से मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के विरूद्ध श्री

गणेश गोस्वामी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 381 में 22 गुणा 27 वर्गफीट कुल 594 वर्गफिट का डीएलसी दर 351 रूपये से शुल्क 02,08,494 रूपये जमा करवाकर पट्टा जारी किया गया जबकि नियमानुसार मेन रोड पर भूखण्ड की निलामी की जाकर व्यावसायिक डीएलसी दर 420 रूपये की दुगुनी 840 रूपये की दर से राशि 4,98,960 रूपये जमा करवाकर पट्टा जारी किया जाना चाहिए था परन्तु आरोपीगण द्वारा आबादी भूमि की डीएलसी 351 रूपये की दर अनुसार 02,08,494 रूपये राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया गया है जिससे राज्य सरकार को करीब 02,90,466 रूपये हानि पहुंचाई है तथा पटटा भूमि के पीछे खाली सिवाय चक भूमि लम्बाई 120 फिट गुणा चौडाई एक छोर 29 फीट व दुसरा छोर 35 फीट कुल 3840 वर्गफिट भूमि पर कब्जा दर्शाकर मालिकाना हक देने का प्रयास करने से राज्य सरकार को 16,12,800 रूपये की हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जांच से आरोपीगण 1. श्री माणकचन्द सहरिया पुत्र श्री केवल सहरिया जाति सहरिया उम्र 51 साल निवासी ग्राम बालापुरा पोस्ट नाहरगढ तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां 2. श्री रामकुमार सहरिया पुत्र श्री चिरोंजीलाल जाति सहरिया उम्र 38 साल निवासी ग्राम घटटा पोस्ट परानिया तहसील किशनगंज तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां 3. श्री गणेश गोस्वामी पुत्र श्री देवीकिशन उम्र 40 साल निवासी ग्राम नाहरगढ थाना नाहरगढ हाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(क), 13(2) व 120बी भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है । अतः आरोपीगण 1. श्री माणकचन्द सहरिया पुत्र श्री केवल सहरिया जाति सहरिया उम्र 51 साल निवासी ग्राम बालापुरा पोस्ट नाहरगढ तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां 2. श्री रामकुमार सहरिया पुत्र श्री चिरोंजीलाल जाति सहरिया उम्र 38 साल निवासी ग्राम घटटा पोस्ट परानिया तहसील किशनगंज तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां 3. लाभार्थी श्री गणेश गोस्वामी पुत्र श्री देवीकिशन उम्र 43 साल निवासी ग्राम नाहरगढ थाना नाहरगढ हाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 13(1)(क),13(2) व 120बी भा0द0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है। (कालू राम वर्मा) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां.....कार्यवाही पुलिस.......प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कालू राम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री माणकचन्द सहरिया पुत्र श्री केवल सहरिया जाति सहरिया उम्र 51 साल निवासी ग्राम बालापुरा पोस्ट नाहरगढ तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां 2.श्री रामकुमार सहरिया पुत्र श्री चिरोंजीलाल जाति सहरिया उम्र 38 साल निवासी ग्राम घटटा पोस्ट परानिया तहसील किशनगंज तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां 3. श्री गणेश गोस्वामी पुत्र श्री देवीकिशन उम्र 43 साल निवासी ग्राम नाहरगढ थाना नाहरगढ हाल वार्ड पंच ग्राम पंचायत नाहरगढ जिला बारां (लाभार्थी) के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(क),13(2)भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0द0सं0 में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अब्दुल शाजीद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालावाड को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 188 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1327-32 दिनांक 10-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:−1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर । 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां 4-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथमिक जाँच संख्या 18/2023)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। ....

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ABDUL SAJID KHAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)..

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				
2	Male	1990				
3	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)